17.12.2014 उपरोक्त दोषित पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9.1.2025 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

9.1.2025 उपरोक्त दोषित प्रकरण हेतु नियत था। पूर्व में अन्तिम मौका दिया जा चुका है। प्रकरण बन्द किया जाता है। प्रकरण सारांश पत्र सूची में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सार्वजनिक पथ कालीति आराजियत के खातेदार के अवैध हल आयरी के रास्ता बन्द कर दिया गया व उक्त रास्ता अतरावीन्ज की आराजियत के बना दिया गया। जिससे यह आराजियत से अतरावीन्ज को प्रकरण नेश्वल करने पर आमादा है व आराजियत को पुनः चालू करने पर आमादा है। पत्रावली के पूर्व के परिवर्तन पारी है। मूल पत्र के निराकरण तक रुके जाने हेतु निवेदन किया। उभय पक्ष की पत्रावली का अवलोकन किया कि गई बहस पर मनन किया। तथ्य दस्तावेज नामजा मुसिया सन्तुलन व उपलब्ध प्रति अतरावीन्ज के पक्ष के बनता है। अतः अतरावीन्ज का सार्वजनिक पथ स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि प्रकरण 55/2015 के निष्पादन मौका हस्तियान 90 दीवानी वकील अपील की धारा 304, 305 में बीके की सत्यापित बनाये रखे। पत्रावली रिकार्ड कमरे नकल के कर दी। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़